

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 032/2018 (GCMS 2018/00177)	दायर दिनांक 25.01.2018	निर्णय दिनांक 17.03.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

कमल कुमार पुत्र रोड़मल जैन (विक्रेता/मालिक)
मैसर्स दीपक किराणा स्टोर,
हॉट चौक चेतक मार्केट रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
निवासी हॉट चौक चेतक मार्केट, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थी

--:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::--

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.08.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.08.2017 को समय 02.40 पीएम पर मैसर्स दीपक किराणा स्टोर, हॉट चौक, चेतक मार्केट, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)



पर पहुँचें। वहां पर कमल कुमार पुत्र रोड़मल जैन उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ घी (Loose) व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता द्वारा वर्ष 2017 का खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं मुकेश जैन की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता कमल कुमार जैन पुत्र रोड़मल (विक्रेता) को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर एक एल्यूमिनीयम के डिब्बे में (डिब्बा जो कि 10 किलोग्राम क्षमता का है व विक्रेता ने बताया कि उक्त डिब्बे में घी है जो कि आम जनता को उपभोग व विक्रय हेतु रखा है) लगभग 08 किलो घी (Loose) विक्रय हेतु रखा पाया। व्यापारी ने बताया कि उक्त घी (Loose) आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु रखा गया है एवं विक्रय किया जा रहा है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (Loose) का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना पास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नम्बर VA की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त घी (Loose) जो कि लगभग 08 किलो था में से 800 ग्राम घी (Loose) हिला मिला कर एक रूप करने के पश्चात् वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 360/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। साथ ही मैसर्स दीपक किराणा स्टोर द्वारा प्रस्तुत खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति, नमूने का विक्रय पत्र, मूल स्वयं की पहचान पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा घी (Loose) को चार बराबर भागों में बाटकर चार प्लास्टिक जारों में अलग-अलग भरकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-858 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाईं और एवं एक बाईं और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार



करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पुर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जाँच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/4025 दिनांक 25.09.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त घी (Loose) का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि अनसेफ होना पाया गया था जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। विक्रेता द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन करने पर नमूने को रेफरल प्रयोगशाला में भेजा गया था जिसकी प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना बाद जांच सब्सटेण्डर्ड होना पाया गया। रेफरल प्रयोगशाला जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स दीपक किराणा स्टोर को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जो कि मय मूल पोस्टल रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 4025 दिनांक 25.09.2017 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/397 दिनांक 17.01.2018 के द्वारा



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में निम्न अभियुक्त ने सब्सटेण्डर्ड घी (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अंत में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 15.04.2018 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया जवाब परिवाद पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थी ने बताया कि मेरी फर्म से घी का नमूना लिया गया था जो कि सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया था मेरी फर्म खाद्य रजिस्ट्रेशन शुदा है, मैं एक छोटा व्यापारी हूं मेरी फर्म का पहले नमूना फेल नहीं पाया गया है एवं किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है एवं भविष्य में मैं और भी सावधानी पूर्वक काम करूंगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझे प्रार्थी माफ करवावे। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 17.03.2021 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया, एवं प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की। इस पर हमने हाजिर अप्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ घी (Loose) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 05.08.2017 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 05.08.2017 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (Loose)



जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-858 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2017/4002 दिनांक 08.08.2017 से पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-858 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 08.08.2017 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2017/4025 दिनांक 25.09.2017 से विपक्षी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 414/Act/2017/413 Dated 11-08-2017 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 414/Act/2017/413 Dated 11-08-2017 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Report No. LS 414/Act/2017/413 Dated 11-08-2017

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Ghee (Loose) Bearing code no, and serial no. AM- 858 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh on 08.08.2017 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follow. Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tailed with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum in sealed envelope.



I found the sample to be Butter, ghee & milk fat falling under Regulation No. 2.1.10.2 (Ghee) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 10.08.2017 to 11.08.2017 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---

- (1) Sample description:- The sample contained in a wide mouth pp bottle.
 (ii) Physical appearance:- Whitish solid paste in appearance.
 (iii) Label :- No brand name loose sample of Ghee.

Opinion:- The sample of Ghee (Loose) Bearing code no. and serial no. AM- 858 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is unsafe food. (Extraneous fat is present other than milk fat) The sample is unsafe food under section 3(1)(zz)(iv)(v)(xi) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मैंगो शेक अनसेफ पाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2017/4025 दिनांक 25.09.2017 से विपक्षी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 414/Act/2017/413 Dated 11-08-2017 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है एवं विपक्षी को अवगत कराया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत विपक्षी नमूने के द्वितीय भाग रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच हेतु अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस पर विपक्षी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच हेतु अपील की गई। इस पर रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुना से नमूने के द्वितीय भाग की जांच की जाकर रिपोर्ट प्रमाण पत्र संख्या CFL/DO-362/17/1227/2017 Dated 11-12-2017 जारी किया गया। हमने निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुना द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रमाण पत्र संख्या CFL/DO-362/17/1227/2017 Dated 11-12-2017 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुना रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

CFL/DO-362/17/1227/2017 Dated 11-12-2017

Certified that the sample bearing number AM-858, purporting to be a sample of Ghee (Loose) was received on 20.11.2017 with memorandum No. FSSA/2017/4996 dated 14.11.2017 from Designated Officer (Food Safety) & Chief Medical & Health Officer, Chittorgarh, Rajasthan for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:-
 The seals on outer covering were intact, unbroken and tallied with the specimen Seal impression received separately from the Designated Officer.



I, Dr. S. M. Bakre found the sample to be Ghee falling under Regulation no 2.1.10 (2) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additives) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed from 23.11.2017 to 11.12.2017 and the results of its analysis is given below / ~~was not in a condition fit for analysis for the reason given below~~

Reasons: - Nil

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The sample received in a plain plastic bottle.

(ii) Physical appearance:- Yellowishsemi solid.

(iii) Label :- ----.

Opinion I am of the opinion that, the above sample of Ghee bearing number AM-858 does not conform to the standards of Ghee as per Regulation No. 2.1.10 (2) of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation 2011, and is substandard as per Section No. 3.1 (zx) of the Food Safety and Standards Act 2006, on the basis of tests performed.

निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुना की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 23.11.2017 से 11.12.2017 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Ghee falling under Regulation no 2.1.10 (2) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additives) Regulations, 2011.** है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-858** है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब्सटेण्डर्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2017/4025 दिनांक 25.09.2017 का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा विपक्षीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 414/Act/2017/413 Dated 11-08-2017** की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया, उक्त पत्र रिकार्ड पर होकर शामिल पत्रावली है। इस पर विपक्षी द्वारा अपील की जाकर रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुना द्वारा नमूने के द्वितीय भाग की जांच की जाकर रिपोर्ट प्रमाण पत्र संख्या **CFL/DO-362/17/1227/2017 Dated 11-12-2017** गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/397 दिनांक 17.01.2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन



स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब परिवाद में परिवाद की स्वीकारोक्ति की गई है इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के संबंध में समस्त तथ्य पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, इसके साथ ही विक्रेता का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :-

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or



- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is—
 - (a) Supplied after the date of its expiry; or
 - (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
 - (c) Unsafe or misbranded; or
 - (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
 - (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
 - (f) received by him with knowledge of being unsafe.
- (2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
 - (a) sold after the date of its expiry; or
 - (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
 - (c) misbranded; or
 - (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
 - (e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006



एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने का से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे विपक्षी श्री कमल कुमार पुत्र रोड़मल जैन (विक्रेता/मालिक) मैसर्स दीपक किराणा स्टोर, हॉट चौक चेतक मार्केट रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी हॉट चौक चेतक मार्केट, रावतमाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार-

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

- The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
- The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
- The repetitive nature of the contravention,
- Whether the contravention is without his knowledge, and
- Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से विपक्षी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त श्री कमल कुमार पुत्र रोड़मल जैन (विक्रेता/मालिक) मैसर्स



दीपक किराणा स्टोर, हॉट चौक चेतक मार्केट रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी हॉट चौक चेतक मार्केट, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को रूपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि नियत समयावधि में अभियुक्तगण से शास्ति राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करावें एवं नियत समयावधि में अभियुक्तगण द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 17.03.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़